महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में पुलिस थानों में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपाय के संबंध में जागरूक किया गया।

उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज -4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 04.09.2024 को जनपद महोबा के समस्त थानों में नियुक्त एण्टीरोमियो /शक्ति दीदी टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में भ्रमण कर जनचौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में शुरुआत की गई है । अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना/ पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु “शक्ति दीदी” नियमित रुप से ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया व कराया जा रहा है।

जनचौपाल में उपस्थित महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा,नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज़-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया । साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं मे उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,फ्री सिलाई मशीन योजना,सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना,बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई । साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 04.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फरियादियों को आश्वस्त करते हुए सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 04.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया, जिससे फरियादियों के चेहरे में सम्बन्धित शिकायत के जल्द निस्तारण होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। सभी फरियादियों ने आश्वस्त होकर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है।

थाना खरेला की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध रुप से संचालित जुआ एवं सट्टा से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 03.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महोदय श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपयों-पैसों से हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.संदीप कुमार अहिरवार पुत्र शिवराम अहिवार उम्र 22 वर्ष 2.महेश्वरीदीन पुत्र रविराम उम्र 39 वर्ष 3.आनन्द पाल पुत्र रामआसरे पाल उम्र 23 वर्ष निवासीगण ग्राम शिवहार थाना खरेला जनपद महोबा को ग्राम शिवहार थाना खरेला जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से 360 रूपये, मालफड़ 1050 रू0 व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संदीप कुमार अहिरवार पुत्र शिवराम अहिवार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम शिवहार थाना खरेला जनपद महोबा
2. महेश्वरीदीन पुत्र रविराम उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम शिवहार थाना खरेला जनपद महोबा
3. आनन्द पाल पुत्र रामआसरे पाल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम शिवहार थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय
2. का0 अखिलेश कुमार यादव
3. का0 विशाल जयसवाल
4. का0 शोयब खां

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 04.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

"श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा का जनपद महोबा से स्थानान्तरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया।"

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम् का जनपद महोबा से 45वीं बटालियन पीएसी अलीगढ़ होने पर आज दिनांक 04.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति में पुलिस लाइन महोबा में विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

इस विदाई समारोह के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक का जनपद से स्थानान्तरण होने पर सभाकक्ष में मौजूद सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके हंसमुख मधुर व्यवहार, कार्यकुशलता, नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए पुष्प माला पहनाकर, प्रतीक चिह्न/मोमेन्टो एवं उपहार भेंट कर मंगलमय उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भावुक विदाई दी गई।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व राम प्रकाश, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मो0 मोइनुल इस्लाम, अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिशिर कुमार, उपजिलाधिकारी सदर जितेंद्र सिंह, उपजिलाधिकारी चरखारी प्रदीप कुमार, उपजिलाधिकारी कुलपहाड़ अनुराग प्रसाद, क्षेत्राधिकारी सदर दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी चरखारी रविकान्त गौंड, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सहित जनपदीय पुलिस के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित समस्त शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्तिथ रहे।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 04.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.09.2024 को क्षेत्राधिकारी कुलपाहड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री मनीष पाण्डेय द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 कामता प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व मे गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1. अमरेन्द्र लोधी उर्फ बाबा लोधी पुत्र श्री चन्दन सिह लोधी उम्र 27 वर्ष निवासी मो0 पावरहाऊस कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए कस्बा पनवाडी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 संजय सिंह चौकी प्रभारी नगाराघाट के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1. रविन्द्र राजपूत पुत्र स्व0 राम श्याम राजपूत उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम नगाराघाट थाना पनवाडी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम बराना के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 213/24 व मु0अ0सं0 214/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अमरेन्द्र लोधी उर्फ बाबा लोधी पुत्र श्री चन्दन सिह लोधी उम्र 27 वर्ष नि0मो0 पावरहाऊस कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा

1. रविन्द्र राजपूत पुत्र स्व0 राम श्याम राजपूत उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम नगाराघाट थाना पनवाडी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0 कामता प्रसाद मिश्रा
2. का0 मिथुन कुमार

गिरफ्तार करने वाली द्वितीय पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय सिंह चौकी प्रभारी नगाराघाट
2. का0 गौरव सबिता
3. का0 सुदयवीर

महोबा पुलिस

थाना चरखारी महोबा की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.09.2024 को क्षेत्राधिकारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 भगवानदीन मय हमराह हे0का0 रामबाबू गौतम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त अमरपाल पुत्र तिजवा पाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सोहजना थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केस न. 641/2015 NCR NO. 106/2015 धारा 323/504 भादवि0 में मा0 न्यायालय जे.एम. चरखारी जनपद महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अमरपाल पुत्र तिजवा पाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सोहजना थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 भगवानदीन
2. हे0का0 रामबाबू गौतम